



Government of Jammu and Kashmir

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT COLLECTOR ANANTNAG**

The Joint Director Information,
Kashmir

No:- LA/PWD/Ang/ *114-018*

Dated:- *05/09/2020*

Subject:- Publication of 3(A) in two newspapers (one in vernacular language).

Sir,

The 3(A) notification of Donipawa Ashajipora section of National Highway-connecting NH 244 to NH 44 from Km 0.000 to Km 8.470 has been notified in the Gazette of India on **04-09-2020** which is enclosed herewith the request to publish the said Gazette in two local newspapers, one in vernacular language at the earliest.

Matter may be treated as most urgent.

Yours faithfully,

[Signature]
05/09/2020
Deputy Commissioner (CALA)
Anantnag

Copy to the:-

1. Divisional Commissioner Kashmir for favour of information.
2. General Manager NHIDCL for favour of information.
3. District Informatics Officer Anantnag for information and publication of same.
4. Tehsildar Anantnag for information with direction to ensure the wide publicity of the notification.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05092020-221568
CG-DL-E-05092020-221568

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2677]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 4, 2020/भाद्र 13, 1942

No. 2677]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 4, 2020/BHADRA 13, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2020

का.आ. 3009(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि जम्मू और कश्मीर राज्य के अनन्तनागा जिले में जोड़ने NH 244 to NH 44 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 8.470 (लाल चौक अनन्तनागा) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् डिप्टी को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य के अनन्तनागा जिले में जोड़ने NH 244 to NH 44 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 8.470 (लाल चौक अनंतनाग) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर		जिले का नाम: अनन्तनागा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: अन्नतनाग					
गांव का नाम: बोना दिअल्लाम (ओ जी)					
1	136	निजी	कृषि	0.0089139(हेक्टेयर)	0.0089139
2	137	सरकारी	रोड	0.1494306(हेक्टेयर)	0.1494306
3	151	सरकारी	नल्लाह	0.0433182(हेक्टेयर)	0.0433182
4	152	निजी	कृषि	0.0382564(हेक्टेयर)	0.0382564
5	154	निजी	कृषि	0.0937389(हेक्टेयर)	0.0937389
6	155	निजी	कृषि	0.2032460(हेक्टेयर)	0.2032460
7	161	सरकारी	नल्लाह	0.0344015(हेक्टेयर)	0.0344015
8	166	निजी	कृषि	0.0028384(हेक्टेयर)	0.0028384
9	167	सरकारी	ट्री एरिया	0.0030963(हेक्टेयर)	0.0030963
10	169	सरकारी	नल्लाह	0.0114585(हेक्टेयर)	0.0114585
11	260	सरकारी	नल्लाह	0.0937680(हेक्टेयर)	0.0937680
12	261	सरकारी	कृषि	0.1052142(हेक्टेयर)	0.1052142
13	262	निजी	कृषि	0.1387383(हेक्टेयर)	0.1387383
14	263	निजी	कृषि	0.0256981(हेक्टेयर)	0.0256981
15	266	निजी	कृषि	0.0039369(हेक्टेयर)	0.0039369
16	267	सरकारी	नल्लाह	0.0541978(हेक्टेयर)	0.0541978
17	268	निजी	कृषि	0.0017560(हेक्टेयर)	0.0017560
18	306	सरकारी	ट्री एरिया	0.0310510(हेक्टेयर)	0.0310510
19	307	सरकारी	ट्री एरिया	0.0747690(हेक्टेयर)	0.0747690
20	309	निजी	ट्री एरिया	0.2006760(हेक्टेयर)	0.2006760
21	324	सरकारी	रोड	0.0902267(हेक्टेयर)	0.0902267
22	336	सरकारी	ट्री एरिया	0.0414948(हेक्टेयर)	0.0414948

